परिवहन निगम मुख्यालय
लखनऊ

संख्या-208ए/एलएएस/2014-334एलएएस/14 दिनांकः 09 जूनः 2014

1-मुख्य प्रधान प्रबन्धक(प्रशासन/संचालन/प्राविधिक),
परिवहन निगम मुख्यालय,
लखनऊ ।

2-प्रधान प्रबन्धक(के0का0/डा0रा0म0लो0कार्य0),
उ0प्र0 परिवहन निगम,
कानपुर ।

3-समस्त प्रधान प्रबन्धक,
परिवहन निगम मुख्यालय,
लखनऊ ।

4-समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक,
उ0प्र0 परिवहन निगम ।

5-समस्त सहायक विधि अधिकारी/स0क्षे0प्र0(का0),
उ0प्र0 परिवहन निगम ।

विषयः-दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को जो मा0 न्यायालय से निगम के पक्ष में सुपुर्द है, मा0 न्यायालय के अनुमति के बिना नीलाम न किये जाने के सम्बन्ध में।

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में यह संज्ञान में आया है कि रूहेलखण्ड डिपो बरेली क्षेत्र की बस सं0-यू0पी0-25जी-9956 से दुर्घटना घटित होने के कारण निगम बस के विरूद्व मुकद्मा पंजीकृत किया गया, जिसमें मा0 न्यायालय द्वारा निगम बस को इस शर्त के साथ सुपुर्द की गयी कि मा0 न्यायालय की मांग पर सुपुर्द की गयी बस को निगम द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा। परन्तु उक्त बस को बिना न्यायालय की अनुमति के नीलाम कर दी गयी। जिस पर मा0 न्यायालय द्वारा कड़ा रूख अपनाया गया है।

अतः इस संम्बन्ध में प्रबन्ध निदेशक महोदय द्वारा निर्देश दिया गया है कि जो वाहन दुर्घटना में "Case property" है तथा दाण्डिक वाद विचाराधीन है, निगम को सुपुर्दगी में दी गयी है, उन्हें बिना न्यायालय की पूर्व अनुमति के नीलाम न किया जाय।

उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

9.6.14

(यशवन्त कुमार मिश्र)
विधि परामर्शदाता

Downloaded from www.upsrtc.com